फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लोगर | **विपक्षी : श्री भाना**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 101/19**

जीसीएमएस : 2019/00371

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 3 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 1117, 1118, 1862, 1864 किता 4 कुल रकबा 70 बीघा 4 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, आराजी नम्बर 1206 रकबा 3 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, आराजी नम्बर 1127, 1856, 1857, 1858 किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, आराजी नम्बर 1180 रकबा 11 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1177, 1182, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1214, 1215, 1223 किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा टिला के नाम दर्ज थी जो विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से हिस्सेनुसार अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीगण अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। इसलिए विपक्षी संख्या 1 को हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करने हेतु [illegible] किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 207 पर दर्ज आराजी नम्बर 1117, 1118, 1862, 1864 किता 4 कुल रकबा 11.3636 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/18 हिस्सा, खाता संख्या 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 1206 रकबा 0.0243 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/24 हिस्सा, खाता संख्या 403 पर दर्ज आराजी नम्बर 1127, 1856, 1857, 1858 किता 4 कुल रकबा 0.6312 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/6 हिस्से, खाता संख्या 402 पर दर्ज आराजी नम्बर 1180 रकबा 0.0890 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 404 पर दर्ज आराजी नम्बर 1177, 1182, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1214, 1215, 1223 किता 11 कुल रकबा 2.3149 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:57:07 IST
Reason: SelfAttested